Ph.:- 01572-248009

REGIONAL OFFICE

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

SHIV SINGHPURA HOUSING BOARD, NAWALGARH ROAD SIKAR - 332001

RPCB/RO-Sikar/Legal 194/ 1058 Date: 19.11.2020

To,

The Register General
National Green Tribunal
Centeral Zonal Bench,
Bhopal-462011 (M.P.)

Sub:- Report of joint committee constituted in O.A. No.82/2020 (CZ) in the matter of Prahlad Swami & Ors. V/s State of Rajasthan & Ors..

Ref:- Hon'ble NGT order dated 05.10.2020.

Sir,

With reference to above, please find enclosed herewith report of joint committee constituted in O.A. No.82/2020 (CZ) in the matter of Prahlad Swami & Ors. V/s State of Rajasthan & Ors. Submitted for kind consideration please.

Yours Sincerely,

Encl:- As above

(Neeraj Sharma)

Nodal Officer

REPORT OF JOINT COMMITTEE CONSTITUTED IN O.A. NO. 82/2020 (CZ) IN THE MATTER OF PRAHLAD SWAMI & OTHERS. V/S STATE OF RAJASTHAN & OTHERS ORDER DATED 05.10.2020 PASSED BY HON'BLE TRIBUNAL

1. That Hon'ble National Green Tribunal has been pleased to passed order dated 05.10.2020 and constituted a Joint Committee consisting:-

   i. Collector, Sikar

   ii. State Pollution Control Board.

   Hon'ble Tribunal directed the aforesaid committee to visit the place and submit the action taken report within 4 weeks. The State Pollution Control Board will be a nodal agency for coordination and logistic support.

2. That in pursuance to order dated 05.10.2020 District Collector Sikar appointed Sub Divisional Officer, Shrimadhopur and State Pollution Control Board appointed Regional Officer, Sikar. A copy of the orders are submitted herewith and marked as **Annexure-1**.

3. That, thereafter, I issued letter dated 20.10.2020 to the Mining Engineer and X.En. Water Resources Department Sikar to submit factual report. A copy of the letter dated

(नीरज शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
सीकर

20.10.2020 is submitted herewith and marked as **Annexure-2**.

4. That Mining Engineer, Sikar has submitted his factual report dated 26.10.2020 along with entire detail of Mining lease. A copy of the factual report dated 26.10.2020 is submitted herewith and marked as **Annexure-3**.

5. That Executive Engineer of Water Resources Division Sikar has also submitted his factual report dated 22.10.2020 and mentioned that no water body near mining lease is created / constructed by Water Resource Department. A copy of the factual report dated 22.10.2020 submitted by the Executive Engineer Water Resources Division Sikar is submitted herewith and marked as **Annexure-4**.

6. That it has been decided that a joint inspection should be held by the Joint Committee on 29.10.2020, but Sub Divisional Officer, Shrimadhopur has busy schedule due to Zila Parisad Election, therefore, it cannot be held on 29.10.2020. Thereafter, it has been decided that a joint inspection should be held on 02.11.2020 by the Joint Committee and concern departments as under:-

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

(नीरज शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
सीकर

1. ***Sub-Divisional Officer, Shrimadhopur (nominated by the District Collector, Sikar).***
2. ***Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Sikar.***
3. ***Mining Engineer, Sikar***
4. ***Executive Engineer Water Resources Department, Sikar.***

7. In pursuance to aforesaid decision a joint inspection was held on 02.11.2020. Prior to aforesaid joint inspection, proper acknowledgement/information has been given to the applicant Shri Prahlad Swami through SMS and mobile conversation. It is further submitted that, thereafter, a joint inspection was held in presence of applicant and it was observed that there is one mining lease of Quartz & Feldspar area 4.29 ha. sanctioned in aforesaid mining lease area and having valid mining plan from Department of Mines, Environmental Clearance from DEIAA and Consent to Operate from the State Pollution Control Board. There was no mining activity or blasting observed during inspection. Dhwajband Mandir, Avinshidham temple is more

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

(नीरज शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
सीकर

than 600 mtrs. away from mining lease area. It was observed that there was not any damage in wall of temple by mining activity or blasting. It is also observed that there was not any mining work at the level of water Table of the area. The SDO, Shrimadhopur also directed to Mining Engineer to submit joint survey report with Patwari regarding demarcation of mining lease area. Joint survey was conducted on 11.11.2020. The committee also took photographs of the site inspection which are annexed along with joint inspection reports. A copy of the joint inspection reports dated 02.11.2020 & 11.11.2020 along with Photograph is submitted herewith and marked as **Annexure-5.**

Report is being submitted for kind perusal of Hon'ble Tribunal.

(Laxmi Kant Gupta)
Sub Divisional Officer
Shrimadhopur

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

(Neeraj Sharma)
(Regional Officer)
R.S.P.C.B., Sikar

(नीरज शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
सीकर

(ANNEX-1)

(1)

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर,सीकर (राज0)

क्रमांक : राजस्व / 2020 / दिनांक :

उप खण्ड अधिकारी,
श्रीमाधोपुर।

विषयः माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसीपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा OA No 82/2020 (CZ) प्रहलाद स्वामी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य।

प्रसंगः माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसीपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.10.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसीपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा प्रहलाद स्वामी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के प्रकरण OA No 82/2020 (CZ) में पारित आदेश दिनांक 05.10.2020 के क्रम में आपको जांच हेतु बनाई गयी संयुक्त जांच कमेठी में अद्योहस्ताक्षकर्ता की ओर से माननीय अधिकरण के निर्देशानुसार कार्यवाही करने के लिए आपको एतद् द्वारा प्रतिनिधि नामित किया जाता है।

sd/-
(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलक्टर, सीकर
दिनांक 22.10.20

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 2148

प्रतिलिपिः
1. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल सीकर को सूचनार्थ प्रेषित।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलक्टर, सीकर

(2)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur.
Phone: 5101871, 5101872, EAPBX: 5159600, 5159699 FAX: 5159694-97

EMAIL

NGT-MATTER

No. F.10 (340)/RPCB/Legal/NGT/2020/ 583-584 Date: 15.10.2020

Regional Officer,
Regional Office,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Sikar.

Sub.:- Original Application No. 82/2020 Prahlad Swami V/s State of Rajasthan & Ors. before the NGT, Central Zonal Bench, Bhopal.

Ref: - Hon'ble NGT order dated 05.10.2020.

Sir,

The Hon'ble National Green Tribunal, Central Zonal Bench, Bhopal has passed order in the subjected matter on 05.10.2020 as follows:-

"1. The instant application has been filed by Mahant of Dhwajband Mandir, Avinshidham and other pujaries residing at village-Sawanpura Toran, Sikar (Rajashtan) against illegal mining activities near age old temple and water body. The applicants also learnt that, the excavation of minerals is being done without having due clearances and other relevant consents as per laws. It is humbly submitted that , the State authorities in collusion with respondent PP, who has been allotted a mining lease for mineral mainly quartz and feldspar on the land admeasuring 4.29 hectares near village-Bhojmer, Tehsil Neem-ka-Thana District Sikar of Rajasthan. The acts of respondents are affecting the environment of the area, creating substantial question related to environment.

2. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.

3. Applicant is directed to provide copy of the application and relevant documents to the respondents within three days.

4. Applicant is also directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email within a week.

5. Respondents are directed to submit their reply within four weeks by email at judicial-ngt@gov.inpreferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

6. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present application, from a Joint Committee consisting of:- (i) District Collector Sikar, Rajasthan (ii) Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board

7. The Committee is directed to visit the place and submit a factual and action taken report within four weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support."

Therefore, you are appointed as representative on behalf of RSPCB for the committee constituted by order dated 05.10.2020 and Nodal Officer for coordination and logistic support. The copy of NGT order dated 05.10.2020 is enclosed for ready reference.

Encl: As above.

Yours Sincerely,

(Uday Shankar)
Member Secretary
o/c

Copy to District Collector, Sikar for information/necessary action.

Member Secretary
o/c

(3)

(ANNEX-2)

Ph.:- 01572-248009

REGIONAL OFFICE

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

SHIV SINGHPURA HOUSING BOARD, NAWALGARH ROAD SIKAR - 332001

राप्रनिम/क्षे.का. सीकर/सामान्य–194(विधि)/957 - 960 दिनांक : 20.10.2020

1. खनिज अभियंता,
   खान विभाग, नीम का थाना, सीकर

2. अधिशाषी अभियंता,
   जल संसाधन विभाग, सीकर।

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सैन्ट्रल जॉन भोपाल में विचाराधीन ऑरिजनल एप्लीकेशन 82/2020 (सी.जेड) प्रहलाद स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य।

संदर्भ :– माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 05.10.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05.10.2020 को आदेश पारित किया गया :–

"The instant application has been filed by Mahant of Dhawajband Mandir, Avinshidham and other pujaries residing at village-Sawanpura Toran, Sikar(Rajasthan) againt illgal mining activities near age old temple and water body. The applicationts also learnt that, the excavation of minerals is being done without having due clearnces and other relevant consents as per laws. It is humbly submitted that, the State authorities in collusion with respondent PP, who has been allotted a mining lease for mineral mainly quartz and feldspar on the land admeasuring 4.29 heactares near village-Bhojmer, Tehsil Neem Ka Thana District Sikar of Rajasthan. The acts of respondents are affecting the environment of the area, creating substantial question related to environment".

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा अवैध खनन से अविनाशी धाम मंदिर एवं जल स्त्रोत को होने वाले प्रभाव के संबंध में निम्न अधिकारियों की संयुक्त कमेटी का गठन कर वास्तविक एवं कार्यवाही रिर्पोट प्रस्तुत करने को कहा गया है एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, को Nodal Agency for Coordination and Logistic Support बनाया गया है।

1. जिला कलक्टर, सीकर।
2. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रणा मण्डल।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2020 की प्रति संलग्न कर निवेदन है की आपके विभाग से सम्बन्धित तत्थ्यात्मक रिर्पोट तैयार कर तीन दिवस में ई–मेल (rorpcb.sikar@gmail.com) पर भिजवाया जाना सूनिश्चित करें ताकि उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही निश्चित समयावधि में पुरी कर भिजवाई जा सके।

भवदीय

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

[signature]
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :–

1. जिला कलक्टर, सीकर से निवेदन है की गठित कमेटी की ओर से माननीय अधिकरण के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिये आपके द्वारा प्रतिनिधी नामित किया जाये ताकि प्रकरण में तथ्यातमक एवं कार्यावाही रिर्पोट समय पर माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को भिजवाई जा सके।
2. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।

[signature]
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with CamScanner

(5)

(ANNEX-3)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सीकर।

शिवसिंहपुरा, हाऊसिंग बोर्ड, रोड़, ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान के सामने, नवलगढ़ रोड़ सीकर

दूरभाष व फैक्स : 01572–249183 e-mail:- me.sikar@rajasthan.gov.in

क्रमांकःखअ/सीकर/अप्र/खप–468/05/ 2565 दिनांकः 26/10/2020

प्रेषितिः–

क्षैत्रिय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,
सीकर।

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सैन्ट्रल जॉन भोपाल में विचाराधीन ऑरिजनल एप्लीकेशन 82/2020 (सी.जेड) प्रहलाद स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य।

सन्दर्भः–आपका पत्रांकःराप्रनिम/क्षे.का.सीकर/सामान्य–194(विधि)/957–960 दिनांक 20.10.2020 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके सन्दर्भित पत्र के सलंग्न माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2020 की प्रति प्राप्त हुई है, जिस संबंध में आप द्वारा प्रकरण से सबंधित खनन पटटा की तत्थ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई है, जो निम्नानुसार प्रेषित है:–

खनन पटटा संख्या 468/2005 वास्ते खनिज क्वार्टज, फैल्सपार क्षैत्र 4.29 हैक्टर निकट ग्राम भोजमेर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में श्री दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सागरमल अग्रवाल निवासी हच टेलीफोन टॉवर के पास, वार्ड नं. 15, शाहपुरा जिला जयपुर के पक्ष में निदेशालय के आदेश कमांकः निखाभू/सीकर/सीसी–4/प–1(1)468/2005/868 दिनांक 26.03.2007 से संविदा पंजीयन तिथी से 30 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ, जिसकी संविदा का पंजीयन दिनांक 20.06.2007 को होने पर खनन पटटा अवधि दिनांक 20.06.2007 से 30 वर्ष के लिए प्रभावशील हुआ।

सीमांकन व खसरा सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 28.07.2006 के अनुसार स्वीकृत क्षैत्र खसरा संख्या 50/2 रकबा 4.40 ब.का.च. सिवायचक में गिरता है। स्वीकृत क्षैत्र का नक्शा विवरण सूची व क्षैत्र खसरा नक्शा पर मार्कशुद्वा की प्रति संलग्न है।

दिनांक 12.01.2015 को जारी एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 8 ए में किये गये संशोधन अनुसार उक्त खनन पटटे की अवधि स्वतः ही बढकर दिनांक 20.06. 2007 से 19.06.2057 तक हो गई, जिसकी पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 22.07.2015 से होकर नोटरी से तस्दीक दिनांक 06.08.2015 को हुई।

भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 10.02.2015 से प्रधान खनिज के 31 खनिजों को अप्रधान खनिज घोषित किर दिये जाने एवं इन 31 घोषित अप्रधान खनिजों में उक्त स्वीकृत दोनो खनिज क्वार्टज, फैल्सपार सम्मिलित होने से उक्त खनन पटटा अप्रधान खनिज के अन्तर्गत हो गया, जिसकी पूरक संविदा का निष्पादन दिनांक 22.07.2015 से होकर नोटरी से तस्दीक दिनांक 06.08.2015 को हुई।

पटटाधारी श्री दिनेश कुमार अग्रवाल द्वारा दिनांक 26.06.2014 से खनन पटटा का हस्तान्तरण श्री झाबरमल स्वामी पुत्र श्री प्रभाती लाल स्वामी निवासी ग्राम भादवाडी तहसील खण्डेला जिला सीकर के पक्ष में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाने पर श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर क्षैत्र, जयपुर के आदेश कमांकः अनिखा/जय/सीकर/सीसी–III/खप–468/2005/372–377 दिनांक 03.09.2015 से खनन पटटा का हस्तान्तरण श्री झाबरमल स्वामी पुत्र श्री प्रभाती लाल स्वामी निवासी ग्राम भादवाडी

Scanned with CamScanner

(5)

तहसील खण्डेला जिला सीकर के पक्ष में स्वीकृत हुआ, जिसकी हस्तान्तरण संविदा का निष्पादन दिनांक 31.03.2016 से होकर पंजीयन दिनांक 17.05.2016 को होकर खनन पटटा शेष अवधि के लिए श्री झाबरमल स्वामी के पक्ष में प्रभाव में आया।

उक्त खनन पटटा के संबंध में पर्यावरीय स्वीकृति (ई.सी.) दिनांक 30.05.2016 से प्राप्त है। खनन पटटा का अनुमोदित माईनिग प्लान अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर के पत्रांक 467 दिनांक 22.05.2015 से प्राप्त है, नवीन माईनिंग प्लान अनुमोदनार्थ प्रकियाधीन है।

प्रकरण से संबंधित खनन पटटा की वस्तुस्थिति रिपोर्ट श्रीमान को सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(मनोज कुमार शर्मा)
खनि अभियन्ता,सीकर

Scanned with CamScanner

[illegible] APPLIED FOR MINING LEASE FOR [illegible] [illegible] VILLAGE [illegible] [illegible] DISTRICT SIKAR.
[illegible] Shri [illegible] Mal Agarwal

[illegible] C.T. SHEET 45 M/14
[illegible]
[illegible]

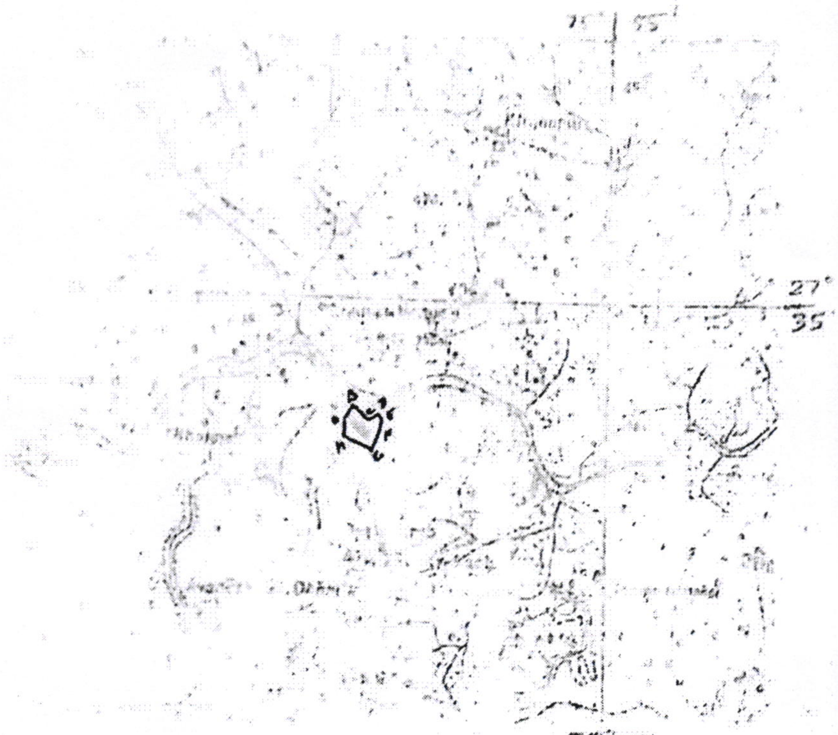

APPLIED AREA [illegible] 4.29 hect.

[illegible] REPORT

[illegible]	BEARING	DISTANCE
[illegible]	[illegible]43°30'	1020 mts
[illegible]	[illegible]62°00'	86 mts
[illegible]	[illegible]0°30'	120 mts
[illegible]	[illegible]5°00'	182 mts
[illegible]	[illegible]5°00'	63 mts
[illegible]	[illegible]5°00'	34 mts
[illegible]	[illegible]9°00'	74 mts
[illegible]	[illegible]0°00'	140 mts
[illegible]	[illegible]3°30'	252 mts
[illegible]	[illegible]°00	74 mts

दिनेश कुमार अग्रवाल
APPLICANT

4.29 hectare

(7)

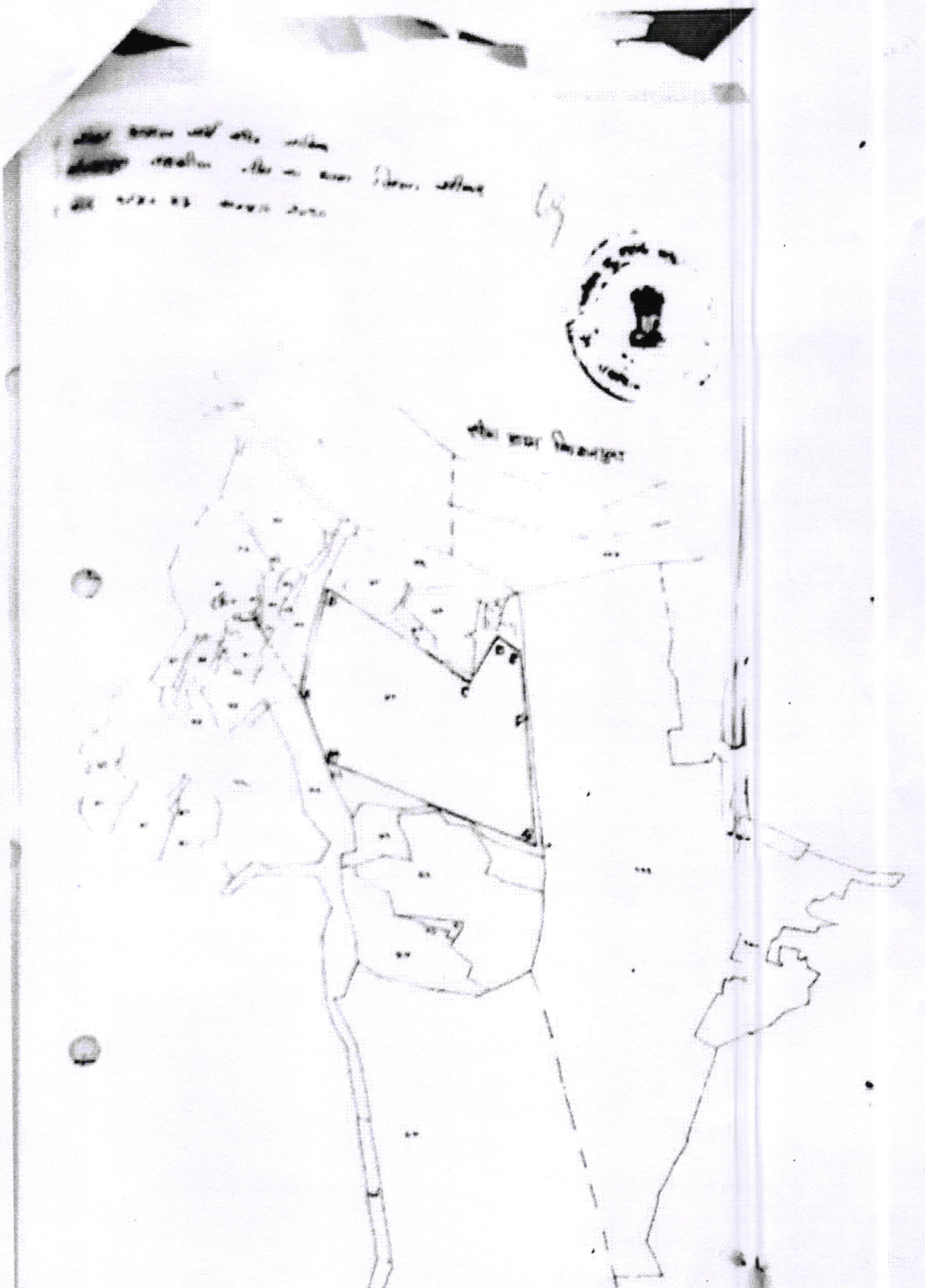

Scanned with CamScanner

(8)

(ANNEX-4)

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, सीकर।

क्रमांक:- 1592 दिनांक:- 22-10-2020

क्षेत्रिय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल,
सीकर।

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सेन्ट्रल जोन भोपाल में विचाराधीन ओरिजनल ऐप्लीकेशन 82/2020 (सी.जेड) प्रहलाद स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य।

संदर्भः- आपका पत्रांक रा.प्रनिम/क्षे.का सीकर/सामान्य-194(विधि) 957-960 दिनांक 20.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सेन्ट्रल जोन भोपाल में विचाराधीन ओरिजनल ऐप्लीकेशन 82/2020 (सी.जेड) प्रहलाद स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

क.स	विवरण	टिप्पणी
1	The instant application has been filed by mahant of Dhwajband Mandir, Avinshidham and other Pujari's residing at village Sanwalpura Toran, Sikar, Rajasthan against illegal mining activities near age old temple and water body. The applicant also learnt that, the excavation of minerals is being done without having due clearance and other relevant consents as per law. It is humbly submitted that the state authorities in collusion with respondent PP, who has been allotted mining lease for minewrals mainly quartze and feldspar on the land admeasuring 4.29 hactare near village- Bhojmer, The-Meem ka Thana, Distt- Sikar of Rajasthan. The ac6ts of respondents are affecting of the environment of the area, creating substantial question related to environment.	As Mentioned by applicants in application, water body near mining lease is not created/ constructed by Water resources Department.

[signature]

अधिशाषी अभियंता,
जल संसाधन खण्ड, सीकर।

Scanned with CamScanner

फर्द मौका रिपोर्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सेन्ट्रल जोन, भोपाल में विचाराधीन मूल आवेदन O.A. संख्या 82/2020 (CZ) प्रहलाद स्वामी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.10.2020 की पालना में गठित संयुक्त जाँच दल एवं अन्य संबंधित विभागों....

1.) उपखंड अधिकारी, श्रीमाधोपुर, सीकर (जिला कलक्टर, सीकर द्वारा नामित)
2.) क्षेत्रीय अधिकारी (राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर)
3.) अधिशाषी अभियन्ता (जल संसाधन विभाग, सीकर)
4.) खनिज अभियंन्ता (खान विभाग, सीकर)

द्वारा परिवादी श्री प्रहलाद स्वामी की उपस्थिति में आज दिनांक 02.11.2020 को मौका निरीक्षण किया गया, मौका निरीक्षण स्थल ग्राम - भोजमेर में एक खनन पट्टा 468/2005 वास्ते खनिज क्वार्ट्ज, फेल्सपार क्षेत्र 4.29 हैक्टेयर के लिए खान विभाग द्वारा खनन पट्टा जारी किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में अवैध खनन होता नहीं पाया गया। निरीक्षण के दौरान खनन क्षेत्र में एक छोटे से भाग में खनन होना पाया गया लेकिन निरीक्षण के दौरान खनन कार्य बंद था एवं मौके पर किसी प्रकार की मशीनरी, उपकरण इत्यादि नहीं पाए गए। खनन पट्टा क्षेत्र से ध्वजाबंध अविनाशी धाम मंदिर लगभग 600 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, जिसमें खनन व ब्लास्टिंग से कोई क्षति होना नहीं पाया गया एवं खनन पट्टे में स्थित एक छोटे बालाजी के मंदिर एवं पास में स्थित मंदिर में खनन कार्य से कोई क्षति होना नहीं पाया गया है। मौके पर खनन पट्टे में भू-जल स्तर तक प्रतिच्छेदन कर खनन कार्य किया जाना नहीं पाया गया। मौके पर पट्टाधारी के पास खनन कार्य के लिए आवश्यक सभी स्वीकृतियाँ जैसे कि अनुमोदित

माइनिंग प्लान, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की वैध सम्मति होना पाया गया। (10)

मौका निरीक्षण के दौरान परिवादी की उपस्थिति में समस्त कार्यवाही की फोटोग्राफी की गई एवं मौका जाँच रिपोर्ट मौके पर तैयार कर हस्ताक्षर किए गए।

(लक्ष्मी कान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

2/11/2020
(नीरज शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

(नीरज शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
सीकर

02/11/2020
(वेद प्रकाश)
सहायक खनिज अभियंता
खान विभाग, सीकर

(नाथूराम)
सहायक अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
सीकर

राजस्थान सरकार

संयुक्त मौका जॉच रिपोर्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, सेन्ट्रल जोन, भोपाल मे विचाराधीन OA-82/2020 आदेश दिनांक 05/10/2020 की अनुपालना मे दिनांक:- 02/11/2020 को श्रीमान अखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर, क्षेत्रीय अधिकारी RSPCB एवम् सहायक खनि अभियन्ता, सीकर द्वारा किये गये मौका निरिक्षण के दौरान श्रीमान अखण्ड अधिकारी द्वारा खनन पट्टा संख्या- 468/2005 के सीमा स्तम्भो के सत्यापन बाबत दिये गये निर्देशो के क्रम मे आज दिनांक- 11.11.2020 को राजस्व विभाग व खनिज विभाग के अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारियो/कर्मचारियो के द्वारा मौके पर पहुँचा गया।

मौके पर सर्वप्रथम कार्यालय से प्राप्त ऑनलाइन विवरण सुची के आधार पर खनन पट्टे के F.R.P. Dulawa कुँआ का मौके पर सत्यापन GNSS व GPS की सहायता से किया गया। इसके पश्चात् FRP कुँआ से Distance व Bearing तथा कोर्डिनेटस के आधार पर खनन पट्टे के सीमा स्तम्भो A, B, C, D, E, F, G व H का सत्यापन किया गया। खनन पट्टा के स्वीकृत क्षेत्र ABCDEFGH में पिछले लम्बे समय से कोई खनन गतिविधी नही चल रही है। खनन पट्टाधारी द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर किसी प्रकार का अवैध खनन करने के साक्ष्य नही पाये गये। खनन पट्टे के अन्दर कोई खनन मशीनरी, उपकरण इत्यादि नही पाये गये।

स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से सुप्रसिद्ध मन्दिर, हवनाबन्द अविनाशी धाम मन्दिर लगभग 600 मीटर से अधिक दुरी पर स्थित है। स्वीकृत खनन पट्टे से नदी प्रवाह (Water Body) को किसी प्रकार के नुकसान पहुँचने के साक्ष्य नही पाये गये।

संयुक्त मौका जॉच रिपोर्ट मौके पर बनाई जाकर हस्ताक्षर किये गये।

ILR सांवलपुरा तंवरान 11/11/2020	MF ME, Sikar 11.11.2020	AME Sikar 11.11.2020

ह. पटवारी
सांवलपुरा तंवरान
11/11/2020

Scanned with CamScanner

12

(View of Mining Lease)

(View of Mining Lease)

(View of Mining Lease)

(View of Mining Lease)

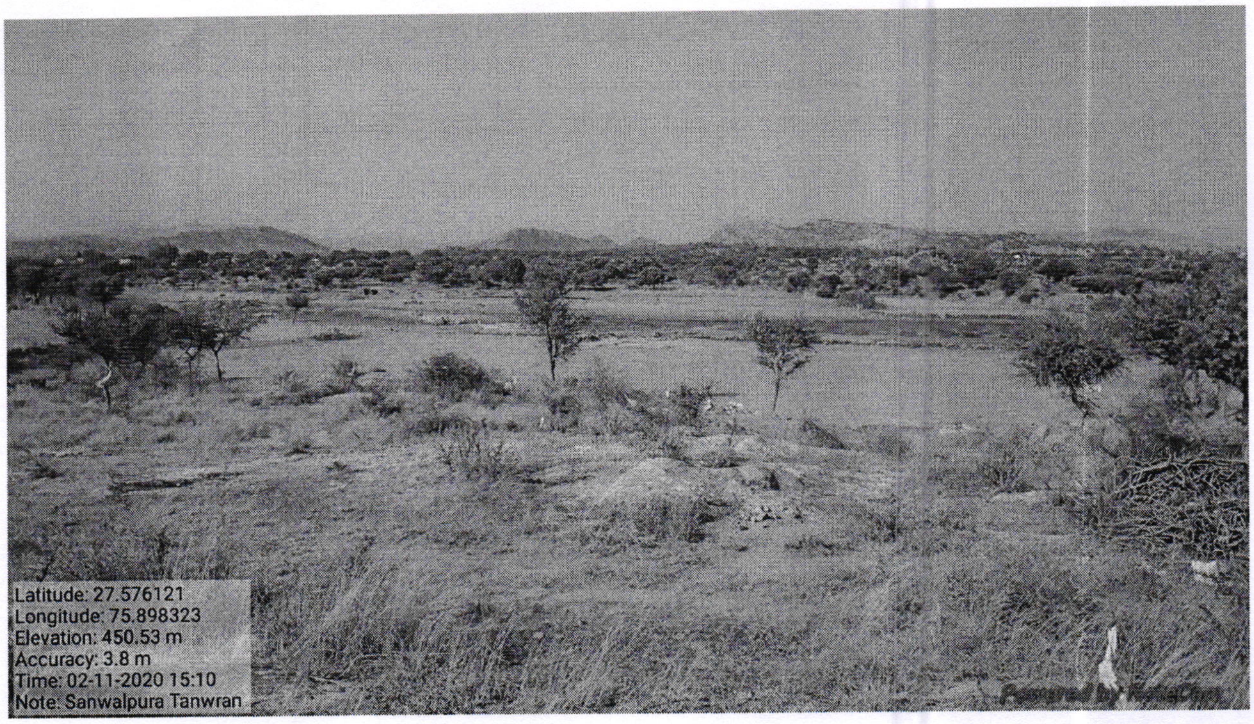

(View of Mining Lease)

(View of Avinashi Dham Mandir

more than 600 mtr. Away from mining lease.)